स्थायी आदेश संख्या- 6

सरकारी पत्र व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करने के विषय में रेडियो मुख्यालय से कुछ आदेश पहले भी जारी किये गये थे पर खेद है कि इन आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है ।

राष्ट्रभाषा में पत्र व्यवहार करना नितान्त आवश्यक है और इसी लिये भविष्य में अंग्रेजी के अनावश्यक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना भी जरूरी हो गया है ।

अतः रेडियो विभाग के सभी कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि उनके लिये रेडियो मुख्यालय से हिन्दी में पत्र व्यवहार करना अनिवार्य है ।

अंग्रेजी का प्रयोग केवल उन्ही कागजों में करना चाहिये जिनमें अभी हिन्दी में काम करना असंभव है जैसे, रेडियोग्राम या तत्सम्बन्धी प्रपत्र जिनके शीर्षक अंग्रेजी में छपे हुए है उदाहरणार्थ लाग बुक इत्यादि ।

अन्य सभी पत्र जैसे छुट्टी, स्थानान्तरण इत्यादि के प्रार्थनापत्र, पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तथा जांच सम्बन्धी कागज हिन्दी में ही प्रेषित किये जाने चाहिये ।

मुख्यालय में प्राप्त आवेदन पत्र तथा प्रार्थना पत्र यदि अंग्रेजी में होंगे तो उन पर कार्यवाही बाद में की जायेगी और हिन्दी में लिखे गये पत्रों पर पहले ध्यान दिया जायेगा ।

छत्रपति जोशी

(छत्र पति जोशी)
राज्य रेडियो अधिकारी ,
उ० प्र० पुलिस रेडियो अनुभाग ,
लखनाऊ ।

दिनांक ६ जून, १९६७

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धितों को ।